प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–एसपीएमयू/मा0स्वा0/आउटरीचसे0/122/2012–13/12121-75 दिनांक22.11.2012

विषय ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश की जन्म दर एनुवल हेल्थ सर्वे 2010–11 के अनुसार 25.5 प्रति 1000 जनसंख्या हो गई है। जनपदवार आँकड़े ए0एच0एस0 2010–11 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन आकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष 51 लाख जीवित जन्म होने संभावित हैं जिसके सापेक्ष 56 लाख गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल दी जानी होगी। प्रदेश की पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (Complete ANC) की उपलब्धि न्यूनतम स्तर (CES 2009 -12.4%, HMIS 2011-12- 3.7%) पर है जो कि अत्यधिक खेद का विषय है।

गांव–गांव में इन गर्भवती महिलाओं की पहचान, शीघ्र पंजीकरण एवं आवश्यक देखभाल के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का आयोजन किया जाता है जिसमें आशा, आंगनबाड़ी व ए0एन0एम सभी स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रदान करने हेतु समेकित रूप से कार्य करती हैं। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य पूरे प्रदेश के ग्रामीण निवासियों को ग्राम स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता प्रदान करना, स्वस्थ व्यवहार एवं आचरण को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु मंच उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सफल संचालन हेतु सभी विभागों जैसे स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा तथा पंचायत राज इत्यादि का सहयोग तथा सहभागिता महत्वपूर्ण है।

1. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं इस प्रकार हैं–
   - प्रेग्नेन्सी टेस्ट– आशाओं के द्वारा अति शीघ्र गर्भ ठहरने की पुष्टि हेतु पेशाब की जाँच।
   - सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (MCP Card) बनाना।
   - पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांचें करना जिसमें निम्न जाँचें/सेवायें अवश्य प्रदान की जायें-
     - खून (हीमोग्लोबिन) की जाँच,
     - वजन की जाँच,
     - ब्लड–प्रेशर की जाँच,
     - टिटेनस की सुइयां
     - आयरन फोलिक एसिड की गोलियां
     - पेट की जाँच एवं
     - पेशाब की जाँच (Albumin & sugar)
     - संस्थागत प्रसव की तैयारी हेतु परामर्श

2. पिछले कुछ वर्षो में जनपदों से प्राप्त आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल नहीं के बराबर हो रही है। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल अवश्य हो। प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 या आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा वजन नापने की मशीन, हीमोग्लोबिनोमीटर N/10 HCL के साथ, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, आर0सी0एच0 रजिस्टर, पर्याप्त मात्रा में मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड व रिपोर्टिंग फॉर्मेट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा इसकी नियमित रिपोर्टिंग टीकाकरण कार्यक्रम की ही भांति हो। गर्भवती माताओं की पेट की जाँच की व्यवस्था आंगनबाड़ी केन्द्र पर अथवा किसी स्थानीय ग्राम निवासी के कक्ष में की जाये अथवा माह के प्रथम बुधवार अथवा वृहस्पतिवार क्लीनिक में उपकेन्द्र पर बुलाकर सुनिश्चित की जाये।

3. **एम0सी0टी0एस0** पर सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की सूचना अंकित किये जाने की नियमित समीक्षा की जाये। एम0सी0एच0 रजिस्टर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर–

- पंजीकरण के पश्चात 03 प्रसवपूर्व जाँचों से छूटी हुई गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण कर आशाओं/ए0एन0एम0 द्वारा उनसे सम्पर्क किया जाये।
- गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण कर उनका फॉलो–अप किया जाये इसके लिए ब्लाक स्तर पर एक रजिस्टर बनाया जाये।

4. **प्रत्येक ब्लाक चिकित्सा इकाई (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0) पर ए0एन0एम0 की नियमित बैठकों का आयोजन आरम्भ किया जाये–** ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर सभी ए0एन0एम0 की बैठक के लिए सप्ताह का एक दिन (मंगलवार/शुक्रवार) पूर्व से ही निश्चित किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि सभी ए0एन0एम0 इस बैठक में प्रतिभाग करें एवं निम्न बिन्दुओं पर उनकी ज्ञान व कौशल का परीक्षण/प्रशिक्षण प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वयं करें –

- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड के प्रत्येक बिन्दु पर जानकारी का भरना– प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रत्येक ए0एन0एम0 से एम0सी0पी0 कार्ड भरने का अभ्यास कराएं। इस कार्ड के प्रथम पृष्ठ पर जे0एस0वाई0 व जे0एस0ए0के0 की संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
- गर्भवती महिलाओं का वजन लेना–प्रभारी चिकित्साधिकारी सभी ए0एन0एम0 से एक दूसरे का वजन नाप कर बताने को कहें तथा यह जानकारी लें कि सभी के पास क्रियाशील वजन नापने की मशीन है अथवा नहीं। उन्हें गर्भावस्था के दौरान प्रति सप्ताह/माह में वजन की वृद्धि का महत्व बताएं। ए0एन0एम0 को जानकारी दें कि वे सावसेन्टर अनटाइड फंड से इस मशीन की मरम्मत अथवा क्रय कहां व किस प्रकार कर सकती हैं।
- गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर नापना – प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने सामने सभी ए0एन0एम0 से ब्लड प्रेशर लेने का अभ्यास कराएं एवं यह सुनिश्चित करें कि उनको गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की महत्ता के विषय में भलीभांति जानकारी हो। उनको जानकारी दें कि वे सावसेन्टर अनटाइड फंड से ब्लडप्रेशर मशीन की खरीद अथवा मरम्मत करवा सकती हैं।
- एनीमिक गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण– गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन की जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है यह जांच पंजीकरण के समय ही हो जानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी एनीमिया का पता लग जाए एवं इलाज आरम्भ हो जाए। इसके लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी ए0एन0एम0 के पास क्रियाशील हीमोग्लोबिनोमीटर हो तथा उन्हें इसका उपयोग भी आता हो।

इसके अभ्यास के लिए उनको प्रत्येक सप्ताह चिकित्सा इकाई की प्रयोगशाला में लैब टेक्निशियन के माध्यम से अभ्यास कराया जाए तथा उनके कौशल के स्तर का फीडबैक लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शतप्रतिशत ए०एन०एम० इस कार्य में दक्ष हों। प्रत्येक सप्ताह ए०एन०एम० द्वारा की गयी गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जॉच, अति गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं का चिन्हीकरण एवं रेफरल की समीक्षा की जाए।

- इस बैठक के दौरान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जाँचों के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि से ए०एन०एम० को N/10 HCL, पेशाब की जाँच (Albumin & Sugar) के लिए स्ट्रिप्स आदि की आपूर्ति भी करायी जा सकती है। उनको जानकारी दें कि वे सबसेन्टर अनटाइड फंड से हीमोग्लोबिनोमीटर की खरीद अथवा मरम्मत किस प्रकार करवा सकती हैं।

5. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिर्पोटिंगः—

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक माह सभी उपकेन्द्र क्षेत्रों से प्राप्त दिवस उपलब्धि रिपोर्ट को पी०एच०सी०/सी०एच०सी० पर ब्लॉक आई०सी०सी० द्वारा एच०एम०आईएस० पर संकलित किया जाएगा तथा ब्लॉक की सी०डी०पी०ओ० तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत जनपद स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इसी प्रकार सभी ब्लॉकों की रिर्पोटों को जनपद स्तर पर जनपद आई०सी०सी० द्वारा संकलित कर, अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी (एन०आर०एच०एम०) तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत राज्य स्तर पर प्रत्येक माह के अंत में प्रेषित किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि इस सूचना एवं एच०एम०आई०एस० पर भरी जा रही सूचना में किसी भी प्रकार की असमानता न हो।

भवदीय,

19.11.12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसं० -एसपीएमयू/मा०स्वा०/आउटरीचसे०/122/2012-13/2121-75/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण,एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम०,उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक,एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस०, ,एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम०,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक–एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

19.11.12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक